अप्रैल 2024
वर्ष 38 संख्या 6-4
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

भाकपा (माले) - न्यू डेमोक्रेसी का 2024 लोकसभा चुनाव में आह्वान !

लोकसभा चुनाव में फासीवादी आरएसएस-भाजपा को परास्त करो।
एकताबद्ध हो, हिंदुत्व ताकतों के हमलों का प्रतिरोध करो।
जीविका और अधिकारों के लिए संघर्ष विकसित करो।

आगामी संसदीय चुनाव (अप्रैल–मई 2024) भारत में शासक वर्ग की राजनीति की दिशा निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक होंगे। दांव पर सिर्फ यह नहीं है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, बल्कि देश में शासन का रूप भी दांव पर होगा। पिछले दस वर्षों में अपनी सत्ता के दौरान सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा देश पर फासीवादी तानाशाही थोपने की तैयारी में काफी आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने जनता और उसके संगठनों और संघर्षों पर चौतरफा हमले हेतु दमन के औजार – दमन का तंत्र भी और उसका कानूनी ढांचा भी – तेज करने के लिए जमीन तैयार कर ली है। साथ ही वे देश पर फासीवादी तानाशाही थोपने के लिए राजसत्ता पर अपने एकाधिकार का रास्ता तैयार करने के लिए शासक वर्गों के विपक्षी दलों पर भी हमला कर रहे हैं। इसलिए इन चुनावों के दौरान लोगों के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आरएसएस–भाजपा को बेनकाब करना, विरोध करना, दंडित करना और हराना है।

फासीवादी शासन व्यवस्था थोपने के आरएसएस–भाजपा के अभियान को विदेशी और भारतीय कॉरपोरेट के प्रमुख हिस्सों के साथ–साथ ग्रामीण अभिजात्य वर्ग का भी समर्थन प्राप्त है। बल्कि पिछले 10 सालों में कॉरपोरेट पर अत्यधिक खैरात न्योछावर किया गया है, जिसका सबसे अधिक लाभ अंबानी और अडानी जैसों को मिला है। गहराते सामाजिक–आर्थिक संकट के बीच अपनी संपत्ति और शक्ति बढ़ाने की उनकी मुहिम के कारण शासक वर्गों का बड़ा हिस्सा शासन के मौजूदा तरीके को फासीवाद में बदलना चाहता है। वे जनता के संघर्षों को दबाना चाहते हैं और इसके लिए जनता को धार्मिक आधार पर विभाजित करने, उनके गुस्से को भटकाने और इस जनविरोधी और लोकतंत्र विरोधी अभियान को चुनौती देने के लिए आवश्यक उसकी एकता को बाधित करने की क्षमता के कारण उन्होंने आरएसएस–भाजपा को चुना है।

आरएसएस–भाजपा और उनका समर्थन करने वाले शासक वर्ग के तबके वर्तमान संविधान को खत्म ना भी कर सकें तो उसे कम से कम बदलना चाहते हैं ताकि इसके तहत लोगों को उनके संघर्षों के कारण जो भी अधिकार प्राप्त हैं उन्हें खत्म किया जा सके। देश पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बाद घरेलू शासक वर्गों के सत्ता में आने के साथ बनाये गये संविधान में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंदोलन में जनता के संघर्षों में मौजूद पहलुओं को शामिल किया गया है। ये पहलू उपनिवेशवाद विरोध, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और संघवाद से संबंधित हैं। आरएसएस, जिसने जानबूझकर स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रहने का रास्ता चुना था, इन पहलुओं को खत्म करने के लिए शासक वर्गों के हिस्से का चुना हुआ प्रतिनिधि है। वे न केवल राज्यों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, बल्कि वे राज्य मशीनरी पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए चुनावी प्रक्रिया में बदलाव करना चाहते हैं। वे चुनाव से पहले कुछ जनपक्षीय कदम उठाने की मजबूरी को दूर करना चाहते हैं। शासक वर्ग के प्रभावशाली हिस्से का इस मुहिम को समर्थन है। यही खतरा आज देश की जनता के सामने है।

कारपोरेट नियंत्रित मुख्यधारा के मीडिया के प्रमुख हिस्सों की मदद से आरएसएस–भाजपा द्वारा लोगों की स्थिति में सुधार और उभरते भारत की नकली कहानी बुनी गई है। साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच बढ़ते अंतर्विरोधों ने उन्हें लाभकारी व्यवहार पाने और अपनी तथाकथित स्वतंत्रता का दिखावा करने में एक हद तक मदद की है। लेकिन इससे अधूरे वायदों और जनता की बिगड़ती स्थितियों की अंतर्निहित क्रूर वास्तविकता पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। आंकड़ों का प्रकाशन न करना और यहां तक कि आंकड़ों का संग्रह ही न करना आरएसएस–भाजपा शासन की पहचान रही है। वे अपनी उपलब्धियों के निराधार व अस्थापित दावे करते हैं लेकिन उनकी स्वयं की घोषणाएँ उनके बयानों को झूठ साबित करती हैं। वे गरीबी कम करने का दावा करते हैं लेकिन लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन देने का भी दावा करते हैं। क्या गैर–गरीबों को मिल रहा है 5 किलो मुफ्त अनाज ! भारत में गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक है, यहां तक कि दुनिया में हमारी जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक। वैश्विक विकास सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक और वैश्विक खुशी सूचकांक के पैमाने पर भारत फिसल रहा है। सरकार दावा कर रही है कि भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन दुनिया का यह सबसे अधिक आबादी वाला देश सबसे कम प्रति व्यक्ति जीडीपी वाले देशों में से एक है, और यह भी बहुत असमान रूप से वितरित है। असमानता इतनी गंभीर है कि सबसे अमीर 1 प्रतिशत आबादी के पास देश की 40 प्रतिशत संपत्ति है, जो रिकॉर्ड उपलब्ध होने के समय के दौरान सबसे अधिक है।

पिछले दस वर्षों का शासन जनता के लिए अभूतपूर्व आपदा रहा है। 2014 में आरएसएस–भाजपा नेता श्री मोदी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था। मोदी सरकार ने अपना वायदा भूलकर, तीन कृषि कानून के माध्यम से किसानों और खेती पर हमले शुरू किए जिसे किसानों ने अपने महान संघर्ष (2020–2021) के माध्यम से परास्त किया। लागत मूल्य बढ़ रहे हैं, किसानों पर कर्ज बढ़ रहा है और वे आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी ने एमएसपी निर्धारित करने के लिए स्वामीनाथन समिति की सिफारिश लागू करने का वादा किया था लेकिन वे बेशर्मी से इससे मुकर गए। मोदी शासन के पिछले 10 सालों में औसतन 5 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से एमएसपी बढ़ाया गया जबकि मंहगाई दर इससे तेजी से बढ़ी है। चुनाव को देखते हुए वे एमएसपी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाने से इंकार कर रहे हैं।

आरएसएस–भाजपा और मोदी ने युवाओं के लिए हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वायदा किया था। यह जुमला एक क्रूर मजाक रहा है। वार्षिक रोजगार – बेरोजगारी सर्वेक्षण और श्रम ब्यूरो के त्रैमासिक उद्यम सर्वेक्षणों को समाप्त करके, वे बेरोजगारी में कमी के झूठे दावे करते हैं। रोजगार में वृद्धि के सभी दावे स्व–रोजगार में वृद्धि पर आधारित हैं जिसमें घरेलू उद्यमों में अवैतनिक कार्य भी शामिल हैं। स्व–रोजगार की हिस्सेदारी 2013– 14 में 49.5 प्रतिशत से बढ़कर अब 57.3 प्रतिशत हो गई है, जबकि इसी अवधि में कुल कार्यबल में वेतनभोगी श्रमिकों की हिस्सेदारी 23.1 प्रतिशत से घटकर 20.9 प्रतिशत हो गई है। "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भरता" की बातों के बावजूद विनिर्माण (फैक्ट्री उत्पादन) क्षेत्र में ठहराव और यहां तक कि गिरावट भी आई है, जबकि निर्माण क्षेत्र में रोजगार कुल कार्यबल के 13 प्रतिशत से अधिक तक पहुंच गया है, जहां भारी बहुमत (83 प्रतिशत) अनियमित काम करते हैं और 11 प्रतिशत स्वयं रोजगार में हैं – जो निम्न गुणवत्ता वाली नौकरियों और अनियमित रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि आरएसएस–भाजपा शासन के दौरान भारत के मजदूरों की मुद्रास्फीति समायोजित मजदूरी ठहरावग्रस्त (1 प्रतिशत से कम बढ़ी) रही है, जबकि मजदूर वर्ग पर हमले बढ़े हैं। छोटे उद्योग और छोटी दुकानदार नोटबंदी, जीएसटी और बाजारों की रक्षा के अभाव के कारण और सिकुड़ गये हैं।

बढ़ते निजीकरण और व्यावसायीकरण के साथ सार्वजनिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यवस्थित हमला हुआ है। बीमारियों पर जेब से खर्च करने के कारण बहुत से लोग गरीबी में चले जाते हैं। भगवाकरण के माध्यम से युवा दिमागों में जहर भरने का एक भयावह अभियान चल रहा है, जहां विज्ञान, इतिहास, लगभग सभी विषयों की शिक्षा को विकृत किया जा रहा है, जांच करने पर अंकुश लगाया जा रहा है, जिज्ञासा को दंडित किया जा रहा है और अनुरूपता को पुरस्कृत किया जा रहा है। युवाओं में लम्पटपन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्हें आरएसएस के मंसूबों के लिए गुंडों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

हालाँकि इन हमलों के पीछे की नीतियां शासक वर्गों की हैं, लेकिन आरएसएस–भाजपा ने उनके अनियंत्रित कार्यान्वयन का सहारा लिया है और फासीवाद को थोपने के साथ वे लोगों के खिलाफ चौतरफा हमले के लिए जमीन साफ करना चाहते हैं। वे शासक वर्गों और साम्राज्यवादियों की सेवा के लिए आतंकवादी तरीकों से शासन करना चाहते हैं। आज फासीवाद का खतरा आरएसएस–भाजपा से है।

एक दशक से आरएसएस–भाजपा

(शेष पृष्ठ 3 पर)

आरएसएस–भाजपा द्वारा विश्वासघात के खिलाफ 14 मार्च, 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों का विशाल प्रदर्शन

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की किसान मजदूर महापंचायत ने एमएसपी और ऋण माफी के लिए संघर्ष को फिर से जीवंत किया, चुनाव में पार्टियों के लिए एजेंडा प्रस्तुत किया।

ट्रेड यूनियन, अन्य जन संगठन समर्थन में शामिल हुए; किसानों का आह्वान प्राण प्रतिष्ठा के मीडिया प्रचार पर हावी हुआ।

महापंचायत को संबोधित करते हुए किरती किसान यूनियन (ए.आई.के.एम.एस.) के महासचिव का. राजिन्दर सिंह दीपसिंहवाला

14 मार्च को रामलीला मैदान में एसकेएम की बड़ी भागीदारी वाली महापंचायत सफल रही। इसमें लगभग 30,000 किसानों ने भाग लिया, मुख्य रूप से पंजाब और पड़ोसी राज्यों हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी तथा कर्नाटक से। उन्होंने अपने नेताओं को अपनी मांगों पर बोलते हुए सुना – सरकारी खरीद की गारंटी के साथ सी2+50 फीसदी के स्वामीनाथन फार्मूले पर सभी फसलों के लिए एमएसपी; सभी किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए ऋण माफी; लखीमपुर नरसंहार के सभी दोषियों को सजा और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र 'टेनी' की गिरफ्तारी; बिजली का निजीकरण नहीं, प्री पेड मीटर नहीं, बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं, ट्यूबवेलों के लिए मुफ्त बिजली और घरेलू और अन्य उपयोगों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली; 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन; मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन और प्रतिवर्ष 200 दिन काम; भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का प्रभावी अमल व अन्य।

यह रैली एसकेएम के लिए अपनी ताकत को फिर से स्थापित करने और अपने संघर्ष को फिर से जीवंत करने के लिए एक जरुरी लड़ाई बन गई, उन मांगों पर जिन पर मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस–भाजपा सरकार 9 दिसंबर, 2021 को किए गए अपने वायदों से पीछे हट गई थी, तब जब एसकेएम ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। 13 महीने लंबी सड़क नाकाबंदी, जिनमें भारत की राजधानी को घेर कर किसानों ने दुनिया को बताया था कि भारत के किसानों को सरकार की कारपोरेट कृषि समर्थक नीतियों से बर्बाद किया जा रहा है, की पुनरावृत्ति को रोकने के बहाने से सरकार ने बड़े पैमाने पर और तीखा दमन शुरू कर दिया था। यह लड़ाई सरकार के इस दमन के खिलाफ भी थी। यह किसानों के भीतर मतभेदों को दूर करने और संघर्षरत ताकतों को फिर से एकजुट करने की लड़ाई थी। यह किसानों, अन्य कामकाजी वर्गों और देशभक्त नागरिकों को आश्वस्त करने की लड़ाई थी कि सांप्रदायिक एजेंडे की आड़ में आरएसएस द्वारा किये जा रहे फासीवादी दमन के खिलाफ एकजुट जन आंदोलन ही कारगर नुस्खा है। यह एक बार फिर बेशर्मी से धार्मिक एजेंडे का प्रचार करने वाले कारपोरेट मीडिया को पीछे धकेलने और भारत के लोगों की गंभीर जरूरतों को एजेंडे पर लाने का भी संघर्ष था।

यह प्रक्रिया पिछले साल सभी कामकाजी लोगों के मुद्दों पर ट्रेड यूनियनों के साथ, संयुक्त आव्हान के साथ शुरू हुई थी। एसकेएम ने राज्य के राज्यपालों के माध्यम से सरकार को उसके वायदे याद दिलाने के लिए राज्यों की राजधानियों में 3 दिन, दिन और रात के पड़ाव आयोजित किए। इसके बाद 16 जनवरी को जलंधर में एसकेएम राष्ट्रीय सम्मेलन में अच्छी उपस्थिति हुई, जिसमें 16 फरवरी को देशव्यापी ग्रामीण भारत बंद और क्षेत्रीय/औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया गया। इससे पहले सभी जिलों में गणतंत्र दिवस पर सफल ट्रैक्टर–वाहन परेड हुईं।

जैसे ही तैयारी शुरू हुई, कई किसान संगठन जो एसकेएम छोड़ गए थे, वे उसके पाले में लौटने लगे। लेकिन कुछ किसान संगठनों ने, जैसा कि वे आश्वस्त थे, एक अलग कार्य योजना बनाई। जबकि उन्होंने पहले 26 फरवरी को दिल्ली मार्च की योजना बनाई थी, उन्होंने इसे बदलकर पंजाब में दो मार्गों पर 13 फरवरी से धरना शुरु कर दिया। सरकार और मीडिया ने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में पेश किया। पंजाब और हरियाणा में शंभू और खनौरी सीमाओं और राजमार्गों/सड़कों पर सरकार ने लोहे की कीलें, कंटीले तार, कंक्रीट की दीवारें खड़ी करके और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाकर नाकाबंदी कर दी। बाद में जब प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और उन्होंने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, तो हरियाणा पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक दमनकारी हमला किया। ड्रोन से बड़े पैमाने पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर लाठीचार्ज किया गया और रबर तथा साधारण गोलियां चलाई गईं। 20 फरवरी 2024 को खनौरी में कई लोग घायल हो गये और 23 वर्षीय शुभकरण शहीद हो गये।

एसकेएम ने इस बात को ठीक से समझा कि यह समानांतर कार्य योजना फूट डालेगी और किसी भी नियोजित आंदोलन को बाधित करेगी, और वह दमन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई में लग गई। पंजाब में भाजपा नेताओं और कार्यालयों का घेराव किया गया और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। 4 घंटे तक रेल मार्ग और सड़कें बाधित रहीं। 16 फरवरी के बंद को मजबूती से लागू करने के साथ–साथ, एसकेएम ने दमन के खिलाफ और इस शहादत की सराहना करने के लिए पंजाब में अधिकतम ताकत के साथ, पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन किया। इसने पंजाब में डीसी कार्यालयों पर 3 दिन और रात में विरोध प्रदर्शन किया और 21 फरवरी को सांसदों/विधायकों के घरों को घेरा। इसने 26 फरवरी को राजमार्गों पर एक ट्रैक्टर मार्च भी आयोजित किया और मांग की कि भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर आना चाहिए। यह भाजपा के हरियाणा के मुख्यमंत्री की उस धमकी का मुकाबला करने के लिए भी था कि अब से ट्रैक्टरों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उनका काम जुताई करना है। एसकेएम ने सभी आंदोलनकारी ताकतों को एक मंच पर लाने और सरकार को किसानों के बीच विभाजन का फायदा उठाने से रोकने के लिए एक एकता समिति भी गठित की। इन कार्रवाइयों के साथ–साथ 14 मार्च को विरोध प्रदर्शन की योजना इस आव्हान के साथ बनाई गई थी कि सरकार को किसानों को दिल्ली में आने और विरोध करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह देश की राजधानी है।

इस अवधि के दौरान मीडिया ने सरकार की प्रतिक्रिया और किसानों के खिलाफ सरकार की सफलता को प्रचारित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। सरकार का प्रयास दुश्मनों पर हमला करने जैसा था, अपने ही नागरिकों से निपटने का नहीं। इसके मंत्रियों ने बार–बार बातचीत के लिए चंडीगढ़ पहुंचकर और खोखले वायदे करके विभाजन को बढ़ाने की कोशिश की। इसने एमएसपी पर मांग की वैधता और व्यावहारिकता के खिलाफ अपने समर्थकों के माध्यम से एक मीडिया अभियान भी चलाया। इन सबका प्रतिकार किया गया। डर, जो दमन, गिरफ्तारी और सामूहिक कायक्रमों को रोकने के कारण फैल गया था, एसकेएम के सभी विरोध आव्हानों को लागू करके स्थानीय संगठनों द्वारा प्रभावी ढंग से इसका मुकाबला किया गया। ऐसे प्रयासों से एसकेएम की यह लामबंदी सफल हो सकी।

महापंचायत में बोलने वाले नेताओं ने पंजाब की सीमा खनौरी और शंभू पर बड़े पैमाने पर सड़क नाकाबंदी और शुभकरण की हत्या सहित किसानों पर दमन और गोलीबारी की निंदा की। उन्होंने किसान संघर्ष के खिलाफ आतंक का माहौल बनाने और पंजाब के साथ दुश्मन देश जैसा व्यवहार करने के लिए भाजपा सरकार की निंदा की। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने और अंबाला के पुलिस आयुक्त को निलंबित करने की मांग की। उन्होंने 14.58 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कारपोरेट ऋण माफ करने, लेकिन किसानों की मांग का समाधान करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने बताया कि कैसे मोदी सरकार लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन और चरण सिंह को भारत रत्न देकर, उनकी आंखों में धूल झोंक रही है, लेकिन किसानों की अनदेखी कर रही है और उनकी उचित मांगों को नकार रही है, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में न्यायपूर्ण होने और कानून का शासन सुनिश्चित करने के सभी दावे फर्जी हैं और असल में अपराधी और हत्यारे इस सरकार की शोभा बढ़ा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों के हत्यारों को बचाने के लिए कानून का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने शुभकरन की हत्या की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में न्यायिक जांच, लखीमपुर के किसानों के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई और 13 महीने के लंबे संघर्ष के दौरान विरोध करने वालों के खिलाफ झूठे मामले वापस लेने की मांग की।

वक्ताओं ने विस्तार से बताया कि कैसे आरएसएस और भाजपा नेताओं के ईमानदार, सच्चे और धार्मिक होने के सभी दावे एक दिखावा हैं क्योंकि वे एमएसपी की मांग पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने के लिखित वायदे से पीछे हट गए हैं, उन्होंने विरोध को रोकने के लिए किसानों पर दमन जारी रखने का संकल्प लिया है। उन्होंने सब्सिडी वापस लेकर और लागत सामग्री के दाम बढ़ाकर और कृषि उपकरणों और पुर्जों पर अधिकतम जीएसटी लगाकर किसानों को धोखा दिया है, कि वे किसानों की इच्छा के विरुद्ध और मामूली भुगतान के साथ उनकी कृषि भूमि को जबरदस्ती छीन रहे हैं।

वक्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार की कारपोरेट समर्थक आर्थिक नीतियों, किसानों, मजदूरों, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और ग्रामीण बाजारों पर इन नीतियों के प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे विश्व व्यापार संगठन की कृषि पर समझौते की शर्तें सरकार को राशन खाद्य समर्थन को बंद करने और खाद्य बाजारों पर निगमों के पूर्ण नियंत्रण की अनुमति देने के लिए कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए मजबूर कर रही हैं। उन्होंने कृषि भूमि, वन और जल संसाधनों पर

(शेष पृष्ठ 3 पर)

2024 लोकसभा चुनाव में भाकपा (माले) - न्यू डेमोक्रेसी का आह्वान !

(पृष्ठ 1 का शेष)

शासन सामाजिक एकता के मामले में निरंतर विनाशकारी रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुसलमान हमले का मुख्य लक्ष्य रहे हैं, उनके अधिकार खत्म किए गए हैं, उनके कार्यस्थलों, घरों, पूजा स्थलों तथा शिक्षा संस्थाओं को नष्ट किया गया है और समुदाय को सामूहिक दंड दिया गया है। आरएसएस–भाजपा के पक्ष में समाज का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पूर्वी भारत विशेषकर पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) के नियमों को अधिसूचित किया गया है। इस अवधि में ईसाइयों पर भी हमले बढ़े हैं। दलितों पर आर्थिक और सामाजिक तौर पर हमले बढ़े हैं। महिलाओं पर मनुवादी नियमावली थोपी जा रही है। कॉरपोरेट के हित में आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए कानून बदले जा रहे हैं और सुरक्षा बल बढ़ाये जा रहे हैं। मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस–भाजपा सरकार, गरीबों और वंचित लोगों के खिलाफ सबसे अधिक आक्रामक रही है।

आरएसएस–भाजपा का हिंदुत्व शासक वर्गों के सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी हिस्से का हथियार है जो अल्पसंख्यकों के साथ–साथ सभी सामाजिक रूप से उत्पीड़ितों, आदिवासियों और महिलाओं के विरुद्ध है और पितृसत्ता तथा निर्विवाद आज्ञाकारिता का समर्थक है। इसका उद्देश्य जनता के बड़े हिस्से में डर पैदा करना है। हिंदुत्व उच्च जाति अहंकारवाद को बढ़ावा देता है। यह बहुसंख्यक जनता के हितों के विपरीत है, जिनका एकजुट संघर्ष फासीवादी ताकतों की प्रगति को रोकने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है।

आरएसएस–भाजपा सरकार शासक वर्ग के सबसे प्रतिक्रियावादी तबके का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने जनता के खिलाफ क्रूरतम हमले किए हैं। पिछले दस वर्षों के शासन में उन्होंने राज्य की अधिकांश संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने जन आंदोलन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर यूएपीए और अन्य आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल किया है। लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की जगह को सिकोड़ा जा रहा है और यहां तक कि बंद भी किया जा रहा है। आरएसएस–भाजपा ने विपक्षी दलों को दबाने और उनके नेताओं को सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए इनके नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी एजेंसियों को लगाया है। ''कैद तोते'' को विपक्ष के विरुद्ध बाज बना दिया गया है। इससे शासक वर्ग की पार्टियों के बीच संघर्ष का मैदान विकृत हो गया है। इलेक्टोरल बॉण्ड के माध्यम से उन्होंने बड़े दान राशियों पर प्राधिकार जमाने का प्रयास किया और शासक वर्गों के विपक्षी दलों को दान को सिकोड. दिया। फासीवाद थोपने के उनके कदमों को रोका जाना आवश्यक है।

☐ फासीवादी तानाशाही थोपने के उनके मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए, क्रांतिकारी ताकतों को आरएसएस फासीवाद, उसके हिंदुत्व आधार और उसके कॉरपोरेट प्रायोजकों के खिलाफ सर्वांगीण संघर्ष में जनता को एकजुट करना चाहिए। यह व्यापक आधार वाली एकता फासीवाद थोपने के उनके प्रयासों को रोकने की एकमात्र गारंटी है। यह फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष का बांध है। आने वाले चुनावों में आरएसएस–भाजपा और उनके एनडीए सहयोगियों को हराने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

☐ प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और देशभक्त ताकतों को अल्पसंख्यकों, उनके धार्मिक स्थानों और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित तबकों के खिलाफ हिंदुत्ववादी ताकतों के हमलों के विरुद्ध एक जोरदार अभियान शुरू करना चाहिए। इस आधार पर सभी ताकतों को एकजुट करते हुए जनता को बड़े पैमाने पर गोलबंद किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो शुरुआत उन क्षेत्रों से की जानी चाहिए जहां प्रगतिशील और जनवादी ताकतें अपेक्षाकृत मजबूत हैं। बड़े पैमाने पर जनता के लामबंद होने से दूसरे इलाकों के लोगों को भी संदेश जाएगा।

☐ बहुसंख्यकवादी फासीवाद को जनता के संघर्षों, जनता के विभिन्न तबकों के संघर्षों ने चुनौती दी है और दी जा सकती है, बशर्ते इन्हें उद्देश्य की स्पष्टता के साथ और सफलता के लिए दृढ़ संकल्प के साथ लड़ा जाए। वर्ग संघर्ष और जनता के विभिन्न हिस्सों के संघर्ष फासीवादियों के खिलाफ संघर्ष की ताकतों को तैयार और मजबूत करते है। जैसे–जैसे आरएसएस–भाजपा जनता के विभिन्न तबकों के खिलाफ हमले तेज करते हैं, वे क्रांतिकारी और संघर्षशील ताकतों के लिए जनता को संघर्ष में एकजुट करने के लिए स्थितियां पैदा करते हैं। ये संघर्ष न केवल किसी विशेष आक्रमण को पीछे धकेलने का तत्काल परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि वे लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के लिए जगह भी खोलते हैं और फासीवादी शासकों के खिलाफ संघर्ष में जनता की एकता विकसित करते हैं।

☐ भाकपा (माले) – न्यू डेमोक्रेसी देश के लोगों से आने वाले चुनावों में आरएसएस–भाजपा फासीवादियों और उनके सहयोगियों को हराने की अपील करती है। हम मानते हैं कि शासक वर्ग की विपक्षी पार्टियाँ भी वैकल्पिक आर्थिक और सामाजिक नीतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। शासक वर्गों के विपक्षी दल भी जब सत्ता में होते हैं, वे जनविरोधी नीतियां अमल करते हैं और लोगों के संघर्षों को दबाते हैं। पर यह आरएसएस–भाजपा है जो जनता के सभी संघर्षों को बेरहमी से दबाकर इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष के लिए जगह तक बंद करने की कोशिश कर रही है। हम मौजूदा व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक अधिकारों की सीमित प्रकृति को पहचानते हैं और हम लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार के लिए जनता को संगठित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालाँकि, आज फासीवादी ताकतें लोकतांत्रिक अधिकारों, जिस हद तक वे मौजूद हैं, को भी खत्म करने की धमकी दे रही हैं। जनता के संघर्षों को आगे बढ़ाने के संघर्ष को मजबूत करने के लिए इस हमले का विरोध किया जाना चाहिए और इसे परस्त करना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि आरएसएस से फासीवाद के खतरे को शासक वर्गों के विपक्षी दल नहीं पहचानते हैं। अतः वे आगामी चुनाव में आरएसएस–भाजपा के विरुद्ध सब जगह साझे प्रत्याशी नहीं खड़े कर रहे हैं। भाजपा को हराने की बात करते हुए भी उनकी मुख्य चिंता केवल अपनी संसदीय ताकत को बढ़ाना है।

भाकपा (माले) – न्यू डेमोक्रेसी लोगों से एकजुट होने और इन फासीवादी ताकतों द्वारा पेश किये जा रहे खतरे के खिलाफ खड़े होने की अपील करती है। फासीवादी ताकतों – आरएसएस–भाजपा को बेनकाब करने, अलग–थलग करने और परास्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

भाकपा (माले) – न्यू डेमोक्रेसी सभी प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, देशभक्त ताकतों और व्यक्तियों से फासीवादी ताकतों के प्रयासों को विफल करने के इस ऐतिहासिक कर्तव्य के लिए आगे आने की अपील करती है। इन ताकतों के मंसूबों को रोकने और परास्त करने के लिए एकजुट हों। यह जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तथा एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए संघर्ष के अत्याधिक हित में है।

(भाकपा (माले) - न्यू डेमोक्रेसी की केन्द्रीय कमेटी द्वारा 28-03-2024 को जारी)

14 मार्च, 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों का विशाल प्रदर्शन

(पृष्ठ 2 का शेष)

कारपोरेट और वाणिज्यिक कब्जे की आलोचना की। उन्होंने भाजपा की भगवाकरण, सांप्रदायिक विभाजन और अल्पसंख्यकों पर हमलों की नीति पर तीखा हमला बोला।

वक्ताओं ने एसकेएम के आह्वान को समझाया कि भाजपा को बेनकाब करो, विरोध करो और दंडित करो, भाजपा की पोल खोलो, विरोध करो, सजा दो, को चुनाव के दौरान सभी राज्यों में यथासंभव इसे लागू करो। उन्होंने कारपोरेट लूट को खत्म करने, कृषि को बचाने, भारत को बचाने का आह्वान किया। यह घोषणा की गई कि पंजाब में किसान भाजपा नेताओं को उनकी पार्टी के विश्वासघात के लिए जवाब देने के लिए कहकर प्रचार करने से रोकेंगे। हर जगह किसानों द्वारा इस तरह के विरोध का आह्वान किया गया।

मुख्य वक्ताओं में राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला, जोगिंदर सिंह उगराहां, तेजिंदर विर्क, दर्शनपाल, गुरनाम चाढुनी, सुनीलम, मेधा पाटकर, राजाराम सिंह, विजू कृष्णन, रावुल वेंकैया, सत्यवान, हरिंदर लाखोवाल, हरमीत कादियान, अविक साहा, जोगिंदर नयन व अन्य शामिल थे। कई वरिष्ठ नेता प्रेसीडियम के सदस्य थे, जबकि कार्यवाही 11 सदस्यों की एक संचालन समिति द्वारा संचालित की गई। कई अखिल भारतीय और छोटे ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने उस विरोध का समर्थन किया था जिसे किसान मजदूर महापंचायत का नाम दिया गया था। लामबंदी में आईएफटीयू और कुछ अन्य संगठनों द्वारा दिल्ली के औद्योगिक श्रमिकों की लामबंदी शामिल थी। अन्य संगठनों के भी कई नेता मौजूद थे।

बीजेपी ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की थी कि यह महापंचायत विफल हो जाए। इसकी शुरुआत अनुमति देने में देर करने से हुई। 10 मार्च को दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया था कि 13 तारीख को बड़ी संख्या में किसान चलने वाले हैं, इसके बाद ही वे 12 मार्च की रात को वह पीछे हटे। लेकिन अनुमति 5000 प्रतिभागियों की सीमा सहित कई शर्तों के साथ ही दी गयी। उसकी सरकारों और दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने और परेशान करने के लिए कई उपाय अपनाए। कई जगहों पर नई दिल्ली आने वाली ट्रेनों को यूपी और अन्य राज्यों में घंटों रोका गया और विरोध प्रदर्शन के बाद ही ट्रेनें शुरू हुईं। सैकड़ों बसों को हरियाणा रोक कर रात में दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया और केवल सुबह के शुरुआती घंटों में ही उन्हें अंदर जाने दिया गया, जिससे रामलीला मैदान के आसपास ट्रैफिक जाम और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। देर शाम तक कर्नाटक के 400 किसानों को निजामुद्दीन स्टेशन से बाहर निकलने से रोका गया। सभी गुरुद्वारों को भोजन न परोसने का निर्देश दिया गया। जमीन का एक बड़ा हिस्सा, लगभग एक तिहाई पानी से भीगा हुआ था जो जानबूझकर अंत तक रिसता रहा था, जिससे अंदर पानी का जमाव हो गया था। नेतृत्व दृढ़ रहा और महा–पंचायत को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां जारी रखीं।

दोपहर 2.30 बजे महा–पंचायत समाप्त हुई और किसान राष्ट्रीय राजधानी में अपनी मांगों का गहरा प्रभाव छोड़ते हुए अपने नारों की गूंज के साथ रवाना हुए। वे प्रोत्साहित और उत्साहित होकर लौटे। एसकेएम के विरोध प्रदर्शन ने, न केवल मोदी सरकार द्वारा बनाए गए भय के माहौल को तोड़ दिया, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में जमा होने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार को भी मजबूती से स्थापित किया।

सुप्त ज्वालामुखी बन गया है बेरोजगारी का सवाल

अनिल दुबे

धन–धान्य व उपजाऊ भूमि से भरपूर, अपार खनिज संपदाओं से युक्त और सबसे बढ़कर 70 करोड़ से अधिक की युवा आबादी वाले हमारे देश भारत को कॉरपोरेट लूट व मुनाफे के लिए "लेबर चौराहे" में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह प्रत्येक शहरों में स्थित लेबर चौराहों पर दिहाड़ी मजदूर मिला करते हैं आज ठीक उसी तरह देश में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अफसर, सरकारी दफ्तरों व कारखाने के लिए डाटा ऑपरेटर और कुशल श्रमिकों का भी बाजार लगने लगा है। जहां कॉरपोरेट कंपनियां मनमाफिक लोगों को कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट अथवा अपने प्रोजेक्ट की जरूरत के मुताबिक हायर (भर्ती) करती हैं और समय पूरा होने या प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद फायर कर देती हैं। पहले इन्हें साइबर कुली भी कहा गया था, लेकिन अब इसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट व इंजीनियर भी शामिल हो गए हैं। इन हायर स्किल्ड लेबर्स और कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कॉरपोरेट कंपनियों व सरकारी संस्थानों के बीच कोई श्रम कानून किसी तरह की दखल नहीं दे सकता, उसी तरह जैसे लेबर चौराहों के दिहाड़ी मजदूरों का कोई श्रम अधिकार नहीं होता। इसमें एम्स और जेएनयू जैसे बड़े रिसर्च संस्थान, सरकारी अस्पताल और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं।

दरअसल भारत में बेरोजगारी के कई स्तर हैं। एक जो उच्च शिक्षित–शिक्षित और अति कुशल–कुशल बेरोजगारी है, जिसमें बच्चे पढ़ाई पूरी करते–करते प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सेना, क्लर्की और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और किसी तरह नौकरी पा जा रहे हैं। दूसरा वह शिक्षित तबका है, जिन्हें पढ़ाई पूरी करने और प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती और वह उम्र अधिक हो जाने के कारण हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं या कोई छोट–मोटा काम करके जीवकोपार्जन करते हैं। अति कुशल और कुशल में आईआईएम, बीटेक, एमटेक, और पीएचडी के अलावा पॉलिटेक्निक व आईटीआई डिग्री डिप्लोमा होल्डर लोग हैं। इसमें भी बड़े संस्थानों से कोर्स पूरा करने वालों को कैंपस सिलेक्शन मिल जाता है, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। कुकुरमुत्तों की तरह हजारों की संख्या में उग आए उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से भी प्रतिवर्ष निकल रहे लाखों बच्चे अति सामान्य वेतन पर कंपनियों में नौकरी करते हैं, जिसमें वह पढ़ाई के लिए, लिए गए लाखों रुपए के लोन की ईएमआई भी नहीं भर पा रहे हैं। शिक्षित–अशिक्षित और कुशल–अकुशल बेरोजगारी का संकट देशव्यापी और व्यापक है, जो भयावह सुप्त ज्वालामुखी जैसा है। युवाओं का आक्रोश रह–रह कर शहरों पर भड़क उठता है, जो ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट का आगाज हो सकता है।

सबसे खराब स्थिति में वह अर्ध कुशल और अकुशल मजदूर हैं, जो निर्माण क्षेत्र से लेकर छोटी–छोटी कंपनियों में न्यूनतम वेतन के अभाव में काम कर रहे हैं। अथवा रेहड़ी– खोमचा लगाने और रिक्शा–ठेला खींचने का काम करते हैं। 2022–23 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत में लगभग 36.5 करोड़ मजदूर हैं, जिनमें से 61.5 प्रतिशत कृषि, 20 प्रतिशत उद्योग और 18.5 प्रतिशत विभिन्न सेवाओं में कार्यरत हैं। ज्ञात हो कि कृषि कार्य बल में ऐसे भी किसान हैं, जिनके पास सीमांत से लेकर बड़ी जोत वाली भूमि है। इनमें बड़ी संख्या भूमिहीन मजदूरों की है। 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 14 करोड़ था। निश्चित रूप से यह संख्या काफी बढ़ चुकी है। इसके बाद मोदी सरकार ने कोई जनगणना नहीं कराई। करोड़ों भूमिहीन कृषि मजदूर गांव के अलावा शहरों में भी मौसमी काम के लिए आते हैं। मनरेगा में औसतन 50 प्रतिशत कार्य दिवस का काम ही उनको मिलता है और शहरों में भी उन्हें सरकार द्वारा घोषित वेज नहीं मिलता। एनएसएसओ सर्वे के अनुसार 2015–16 से वर्ष 2020–21 में नीचे से 50 प्रतिशत की आबादी की आमदनी कुल आमदनी के 14.4 प्रतिशत से घटकर 9.8 प्रतिशत हो गई। प्राइवेट सेक्टर में वेतन वृद्धि या तो एकदम नहीं हुई या महंगाई के तुलना में बहुत कम। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण कार्य बल के 24.6 प्रतिशत आबादी को एक दिन में 100 रुपए से भी कम की आमदनी हो रही है और शहरी कार्यबल के 10 प्रतिशत लोगों की आमदनी रु. 100 से कुछ ही अधिक है।

देश पूर्ण और अर्ध बेरोजगारी के भयावह संकटों से जूझ रहा है, लेकिन आरएसएस–बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार के पास इससे संबंधित कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, जनसंख्या और विकास दर संबंधी आंकड़े जारी करने वाली संस्थाओं और संस्थानों को नष्ट कर दिया गया है या उनके कामकाज को निष्प्रभावी बना दिया गया है। अब सरकार को गोएबल्स फार्मूले के तहत प्रत्येक विषय पर देश को भ्रमित करने और प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया है। अब केंद्र सरकार भाषणों में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी समाप्त करने के दावे कर रही है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के हवाले से (सरकार का एचएमवी) दावा किया कि 25 करोड लोग बीते 9 वर्षों में गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं। लोकसभा के चुनाव में विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई को प्रमुख मुद्दा बना रहा है और अपने घोषणा पत्र में नौकरियां देने का वायदा कर रहा है। वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में बेरोजगारी शब्द का भी उल्लेख नहीं है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने 2017–18 में भारत की बेरोजगारी दर 45 वर्ष के उच्चतम स्तर 6.01 प्रतिशत पर पहुंचने संबंधी रिपोर्ट अनाधिकारिक तौर पर जारी की थी जिसे केंद्र सरकार ने यह कह कर खारिज कर दिया कि उसके आंकड़े वास्तविकता के आधार पर नहीं जुटाए गए हैं। उसी एनएसएसओ ने पिछले माह मार्च 2024 में बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में बेरोजगारी दर घटकर 3.1 प्रतिशत हो गई है। इस रिपोर्ट पर सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है। वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और मानव विकास संस्थान (आईएचडी) ने 26 मार्च 2024 को जारी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के बेरोजगारों में 83 प्रतिशत युवा है और कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी में भारी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि 2000 के मुकाबले पढ़े–लिखे बेरोजगारों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। 2000 में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.02 प्रतिशत थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7 प्रतिशत हो गई है। इसमें दसवीं या समकक्ष शिक्षित युवाओं की संख्या शामिल नहीं है। आईएलओ की रिपोर्ट पर सरकार खामोश है। इस तरह बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई संबंधी आंकड़ों को सार्वजनिक करने से रोक दिया गया है और मनमाने ढंग से आंकड़ों को तैयार कर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले एक अनुमान के अनुसार भारत में मासिक वेतन वाली नौकरियां केवल 20 प्रतिशत हैं। शेष नौकरियों में जितने दिन काम उतने दिन के ही वेतन का प्रावधान है, जिन्हें साप्ताहिक अवकाश तक उपलब्ध नहीं है।

गोएबल्स की तरह प्रोपेगेंडा करते हुए आरएसएस–बीजेपी की सरकार दावा कर रही हैं कि भारत दुनिया में पांचवी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और चंद वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। वैश्विक रेटिंग एजेंसियां बता रही हैं कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। परंतु इस सर्वाधिक अरबपतियों वाले देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है और उनका जीवन स्तर कैसा है ? वास्तविकता यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश के नागरिकों से भी कम है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जिन देशों को पीछे छोड़ना है उनके नागरिकों की आय और जीडीपी में जमीन आसमान का अंतर है। कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिए रोजगार से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधा और कुपोषण से निपटने के लिए काम करता है। आरएसएस–भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले शासक वर्गों की दूसरी पार्टियां कम से कम यह सब करने का दिखावा करती थीं, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ कॉरपोरेट के मुनाफे और गोएबल्स प्रोपेगेंडा पर काम कर रही है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में केंद्र और राज्य सरकारों सहित रेलवे, सेना, चिकित्सा, शिक्षा, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस बलों और अनेक सरकारी कार्यालयों में रिक्त पदों की संख्या 60 लाख से अधिक है। फिर इन पदों को कई वर्षों से नहीं भरा जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार उपरोक्त सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निजीकरण कर चुकी है या कर रही है और जो बाकी हैं उन्हें भी तेजी से निजी क्षेत्र को सौंपा जाना है। सेवा में अग्निवीर मॉडल को इसी रूप में देखना चाहिए। यह सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस बलों में आने वाले वर्षों में ठेका नौकरी की शुरुआत का संकेत है। एशिया भर में प्रतिष्ठित एम्स जैसे चिकित्सा संस्थान में भी फैकल्टी और डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाने लगा है। दिल्ली सहित देश के अधिकांश हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ ठेके पर रखे जाने लगे हैं। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत देश के बड़े शिक्षण संस्थानों, उच्च प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों कॉलेजों और स्कूलों को देसी–विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपा जाना है। रेलवे में अधिकांश नौकरियां पहले ही ठेके पर जा चुकी हैं। दर्जनों महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन निजी क्षेत्रों को सौंपा जा चुका है। आरएसएस–भाजपा सरकार की तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। दरअसल मोदी सरकार कॉरपोरेट को सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर देश को हिंदुत्व की ओर ले जाने पर आमादा है। इसके लिए वह अपने एक दशक के शासन काल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। भाजपा आज सत्ता के जिस केंद्र में पहुंची है उसके लिए कॉरपोरेट ने डेढ़ दशक से समर्थन किया है।

भारत में सरकारी नौकरियां को लेकर आम लोगों में हमेशा से एक चाह रही है। इसकी बड़ी वजह निश्चित वेतन, प्रतिवर्ष महंगाई भत्ता, वेतन बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सुविधाएं, अवकाश और रिटायर होने के बाद पेंशन का प्रावधान था। इससे पूरे परिवार को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती थी। आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के पूर्व 8वें दशक तक निजी क्षेत्र की कंपनियां भी श्रम कानूनों के तहत निश्चित वेतनमान, वेतन बढ़ोतरी और अन्य सुविधा देती थीं। दरअसल एक निश्चित वेतन और नौकरी में स्थायित्व से जो आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा एक परिवार को मिलती थी। अब वह समाप्त हो गई है। सभी तरह की नौकरियां ठेके पर जा चुकी हैं या जाने वाली हैं। सैलरी वाली नौकरी से देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति भी दिखाई देती है। अपने निश्चित वेतन में एक परिवार अच्छे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य के बाद आवास की व्यवस्था करता है। वह उपभोक्ता वस्तुओं कपड़े, वाहन आदि उत्पादों की खरीद पर भी खर्च करता है। इससे देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का पूरा एक चक्र शुरू हो जाता है। कॉरपोरेट मीडिया बताता है कि नोट बंदी, कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी के बावजूद मकान और गाड़ियां बिक रही हैं। यह देखने की बात है कि वाहनों में महंगी और लग्जरी गाड़ियां बिक रही हैं और आवास भी करोड़ों रुपए से अधिक कीमत वाले बिक रहे हैं, जबकि गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वालों की बड़ी संख्या का मासिक वेतन 25 से 50 हजार रुपए के बीच है। ऐसे में उनकी क्षमता लग्जरी वाहन और करोड़ों का घर खरीदने की नहीं है। 10 से 25 लाख रुपए की कीमत वाले मकान और चार–पांच लाख रुपए वाली गाड़ियां बाजार से नदारत हैं, जबकि रोजगार कर रहे लोगों में निम्न मध्य आय वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है।

केंद्र और राज्यों में दिसंबर 2022 में 80 लाख 50 हजार 977 और केंद्र सरकार के अधीनस्थ विभागों में 9 लाख 10 हजार 153 स्वीकृत पद रिक्त थे। आर्थिक उदारीकरण से पूर्व रेलवे में लगभग 16 लाख स्थाई और 3 लाख के आसपास ठेके पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर होते थे। आज रेलवे में यह संख्या अनुमानित 11 लाख से कम है। उसमें भी बड़ी संख्या ठेका वाले श्रमिक और कर्मचारी हैं। देश में रिक्त सरकारी पदों के आंकड़े समय–समय पर सरकार लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के सवालों के जवाब में देती रही है। दिसंबर 2021 में रेलवे में 3 लाख 62 हजार, थल सेना में एक लाख 75 हजार, वायु सेना में 8000, नौसेना में 12000, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2 लाख, केंद्र सरकार के अस्पतालों में एक लाख 68 हजार, आंगनबाड़ी में एक लाख 76000, केंद्रीय विद्यालयों में 18000, नवोदय विद्यालयों में 16000, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 20 हजार पद रिक्त थे। अन्य केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 1662 आईटीआई, 7412 एनआईटी, 4662 आईआईएम, 946 सीबीआई, 1342 रिसर्च

(शेष पृष्ठ 7 पर)

एनईपी 2020, एनसीएफ 2023, शिक्षा के सांप्रदायिकरण तथा व्यवसायीकरण के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध सभा

समान शिक्षा के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच (AIFRTE) ने 3 फरवरी, 2024 को दिल्ली के जंतर–मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य मांगें थीं– एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 को वापस लेने के साथ–साथ शिक्षा में सभी प्रकार के व्यावसायीकरण, ठेकेदारीकरण, सांप्रदायिकरण, केंद्रीकरण, जातिवादी, पितृसत्तात्मक और अन्य पूर्वाग्रहों और भेदभाव को खत्म करना। इस पहल में पूरे देश से 100 से अधिक छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, सामाजिक न्याय संगठन, अधिकार समूह और अभिभावक संगठन भाग ले रहे थे।

देश भर से छात्रों, शिक्षकों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित लगभग 1500 लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया। इसमें पंजाब, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से साथियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। प्रोफेसर जगमोहन सिंह (अध्यक्ष एआईएफटीआरई) ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा–इन नीतियों के परिणाम हमारे चारों ओर स्पष्ट हैं। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जो समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से, शासक वर्ग समाज पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। प्रगतिशील और क्रांतिकारी समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करने की उम्मीद करते हैं। अम्बेडकर निम्न वर्ग के लिए शिक्षा पर जोर देते थे और तमिलनाडु में पेरियार भी इन बिंदुओं को उठाते थे। इन दिनों शिक्षा के बजट में भारी कटौती की जा रही है, जिसका असर हर किसी की शिक्षा तक पहुंच पर पड़ रहा है। हमें समाज को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए।

सभा को विभिन्न भागेदार संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया। इनमें भास्कर (पीडीएसयू एपी), रणबीर (पीएसयू पंजाब), राजीब (पीवाईएल प.ब.), रोहित (पीडीएसयू, दिल्ली), निरंजन (एआईआरएसओ), प्रसेनजीत (आएसा), रमेश पटनायक (एपीएसईसी), नंदिता नारायण (जेएफएमई), संजीव कुमार (डीवाईएफआई), प्रियंवदा (दिशा), गुरकीरत (बीएससीईएम), अमन (पछास), रिजवान (खुदाई खिदमतगार), दिनेश अब्रोल (ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क), इंद्राणी दत्ता (असम), प्रेम चंद (भारतीय लोकसेवा कर्मचारी संघ), पी. प्रकाश (भगत सिंह छात्र युवा मोर्चा), शुभम (बीएपीएसए), शांभवी (कलेक्टिव), संजद (कारगिल राजनीतिक कार्यकर्ता), अभिषेक (छात्र एकतामंच, हरियाणा), आइषी घोश (एसएफआई), संतोश कुमार (समाजवादी जन परिषद), सुजीत (डीएसयू दिल्ली), टी लिंगारेड्डी (डीटीएफ तेलंगाना), आभा देव हबीब (डीटीएफ, दिल्ली) , अंतराम (जागृत आदिवासी दलित संगठन), राम (इंकलाबी छात्र मोर्चा यूपी), प्रोफेसर हरगोपाल व अन्य शामिल थे।

डीटीएफ, पंजाब के विक्रमदेव ने कहा कि आरएसएस–बीजेपी ने उन सभी हिस्सों को पाठ्यक्रम ढांचे से हटा दिया है जो उनकी भगवा विचारधारा के विपरीत थे। पाठ्यक्रम में बदलाव करने के बाद, वे एक कदम आगे बढ़े और सभी शैक्षिक स्तरों और सभी क्षेत्रों में अधिक महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने के लिए कमेटियां बनाई। हम एनईपी और एनसीएफ दोनों का विरोध करते हैं। जब पाठ्यक्रम के विमर्षशील हिस्से हटाए गए तो कमेटियां नहीं बनाई गईं; लेकिन, आरएसएस के प्रचार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अब आरएसएस की अपनी विचारधारा की कमेटियां बना रही हैं। आज, मिथक और तथ्य समान स्तर पर हैं, और भविष्य में दोनों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। हमें शिक्षा को राज्य सूची में पुनः स्थापित कराने के लिए भी काम करना चाहिए। केंद्र सरकार ने 26 जनवरी के विरोध में 22 जनवरी की तारीख तय की है और हम 16 फरवरी को बंद के दौरान आरएसएस–बीजेपी को जवाब देंगे।

पीएसयू के रणबीर ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सत्ता के सभी पदों पर अपने समर्थकों को बिठाया। अपने दूसरे कार्यकाल में, उसने उन सभी नीतियों का अनावरण किया जो उसके हितों की पूर्ति करती थीं। आज, 22 जनवरी को, इसने आगे क्या होने वाला है इसका पूर्वावलोकन प्रकट किया है। हमें इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि आरएसएस मोदी की शक्ति का स्रोत है; आरएसएस से वैचारिक रूप से लड़े बिना मोदी को राजनीतिक रूप से नहीं हराया जा सकता।

अन्य वक्ताओं ने बताया कि देश के श्रम बाजार और शिक्षा नीति के बीच घनिष्ठ संबंध है, यही कारण है कि एनईपी और नए लेबर कोड लॉकडाउन के दौरान पेश किए गए थे। स्थापित एनईपी वर्गीकरण से लड़ना, जो वस्तुतः वंचितों के खिलाफ जाति और वर्ग–आधारित भेदभाव को सुनिश्चित करता है, एक ऐसी लड़ाई है जिसे देश के श्रमिक वर्ग के साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। एनईपी के खिलाफ लड़ाई उस तरह का समाज बनाने के लिए सावित्री बाई के बड़े प्रयास का एक घटक है।

शिक्षा के अधिकार की लड़ाई केवल शिक्षा के बारे में नहीं है; यह लोकतंत्र को आगे बढ़ाने व उसकी रक्षा करने, फासीवाद से लड़ने के बारे में भी है। हम एक नए इंसान और एक नए समाज की लड़ाई में लगे हुए हैं। भगत सिंह ने एक तुलनीय आदर्श की खोज में अपना जीवन बलिदान किया था।

जिस गति से स्कूल बंद हो रहे हैं, उसे देखते हुए बच्चे शिक्षा के लिए लंबी दूरी कैसे तय करेंगे? जबकि नए सरकारी स्कूल नहीं बनाए जा रहे हैं, मौजूदा बंद किए जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस देश के अधिकांश लोग नई प्रणाली के तहत शिक्षा तक कैसे पहुंच पाएंगे।

एक वक्ता ने कहा, एनईपी के अमल के साथ हम देश भर में इसके परिणामों को देख रहे हैं। मैं पूर्वोत्तर में चीजें कैसी हैं बताना चाहूंगा। हमारा राज्य केंद्रीकरण से पीड़ित है; शैक्षणिक वर्ष को स्थानांतरित कर दिया गया है, और पाठ्यक्रम को सीबीएसई के साथ सिंक्रनाइज़ किया गया है। हमारा शैक्षणिक कार्यक्रम मौसम, जलवायु और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अनुरूप होता था, लेकिन अब यह बदल गया है। कुल मिलाकर, असम ने कई एनईपी उपायों को गलत और बेतरतीब ढंग से पेश किया है। हमे भाषा को गंभीरता से लेने की जरूरत है। असम में वर्णमाला शिक्षक हिंदी में पढ़ा रहे हैं।

एक अन्य वक्ता कं अनुसार महाराष्ट्र अपने कई क्षेत्रीय स्कूल बंद कर रहा है, और हमारे राज्य में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है।

तेलंगाना का एक दल ट्रेन लेट होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका। रात में अम्बेडकर भवन में एक अलग बैठक आयोजित की गई जहाँ कई छात्र संगठन ठहरे हुए थे। इसे एआईएफआरटीई के अध्यक्ष मण्डल सदस्यों डॉ. विकास गुप्ता, डॉ. मृगांक, डॉ. प्रसाद और प्रोफेसर लक्ष्मीनारायण के अलावा पीडीएसयू तेलंगाना के महेश सहित छात्र नेताओं ने संबोधित किया।

जंतर मंतर पर प्रदर्शन का एक दृश्य

वरिष्ठ क्रांतिकारी कामरेड कल्लन शाह की शोक सभा

28 अक्टूबर 2023 को 1:30 बजे कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन के निर्भीक, अथक, ईमानदार योद्धा का. कल्लनशाह का निधन हो गया, जो मुरादाबाद के किसान-मजदूरों व पीड़ित तबकों के लिए अपूर्णीय क्षति है। जिला मुरादाबाद तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम बथुआ खेड़ा में जन्मे कामरेड कल्लन शाह 1979 में क्रांतिकारी राजनीति में आए। उस समय सूखा पड़ने के कारण सरकार द्वारा काम के बदले खाद्यान्न योजना के अंतर्गत उन्होंने मजदूरों को गल्ला दिलाने का बड़ा आंदोलन लड़ा। इसके बाद 1985 में जिला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लाक के धारा फार्म व बिरला फार्म के भूमि संघर्ष में वे सक्रिय रहे। 1989 में नेपा पेपर मिल के लिए 986 एकड़ भूमि के मुआवजे को लेकर संघर्ष किया तथा बाद में मिल लगवाने या क्षेत्र के किसान-मजदूरों को भूमि वापस करने की मांग को लेकर संघर्ष किया जो निरंतर जारी है। 2021 में सारी भूमि किसानों ने जोती, बोयी और आज भी लोग उसे जोत रहे हैं। 1980 में किसानों के सत्याग्रह में 13 दिन जेल में रहे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनारसी दास की सभा में ठाकुरद्वारा क्षेत्र की मांगों को रखने पर गिरफ्तारी हुई। उन्होंने फिर सात दिन की जेल काटी।

बाद में वे ग्राम प्रधान बने और उसी दौरान गांव के दबंगों व पुलिस गठजोड़ द्वारा फर्जी केस में जेल जाना पड़ा। उनकी बिना शर्त रिहाई के लिए 10 दिन लगातार डीएम कार्यालय मुरादाबाद पर धरना व भूख हड़ताल गांव व क्षेत्र की जनता ने चलाई। उधर जेल में कल्लन शाह, शाकिर अली व नबाव शाह ने भी अनशन किया। जन दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा तथा पुनः जांच करके केस समाप्ति व अन्य मांगे भी माननी पड़ीं। जो गिरफ्तार नहीं हुए थे, उन्हें निर्दोष मानते हुए जांचकर्ता ने मुकदमे से बाहर कर दिया, परंतु जेल जाने वाले साथियों पर आज भी मुकदमा चल रहा है। वह धर्म के नाम पर दिखावे के खिलाफ थे। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, पीड़ितों की हर संभव मदद करना अपना कर्तव्य समझते थे।

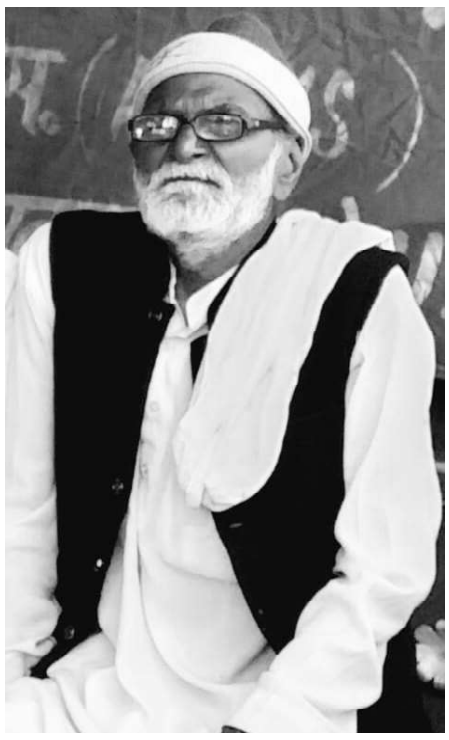

1979 में उन्होंने सीपीआई (एमएल) की सदस्यता ग्रहण की और मुरादाबाद जिला कमेटी के सदस्य रहे। वे अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, जिला मुरादाबाद के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य थे।

पंजाब में जोर पकड़ रहा भूमिहीन दलितों व मजदूरों का संघर्ष- पुलिस दमन, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियों के बावजूद सफल रहा रेल चक्का जाम- जिलों में रैली और विरोध प्रदर्शन

• पेंडू मजदूर यूनियन (पीएमयू) और जमीन प्राप्ति संघर्ष समिति (जेडपीएससी) द्वारा आयोजित रेल चक्का जाम सफल रहा,

• पूरे पंजाब के गांवों की घेराबंदी और गिरफ्तारियों के बावजूद रेलवे ट्रैक जाम करने जुटे हजारों भूमिहीन दलित और श्रमिक,

• केकेयू कार्यालय पर छापेमारी व गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन

11 मार्च, 2024 को ग्रामीण मजदूरों के खिलाफ अंधाधुंध हिंसा, लाठीचार्ज तथा सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद पीएमयू और जेडपीएससी के आह्वान पर हजारों दलितों व मजदरों ने रेलवे ट्रैक को कई स्थानों पर जाम कर दिया।

रेल रोको आंदोलन का आह्वान भूमि सुधार अधिनियम 1972 को लागू करने, भूमिहीन श्रमिकों–किसानों को अतिरिक्त भूमि का वितरण करने, लाल डोरा (आवासीय क्षेत्रों) के अंतर्गत आने वाले घरों के पंजीकरण और श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिदिन कराने के लिए किया गया था। दैनिक मजदूरी 1000 रूपए के साथ पूरे साल काम का प्रावधान, रविवार को अवकाश, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ऋण सहित संपूर्ण ऋण माफी, नजूल और प्रांतीय सरकार की जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने, दलितों को मालिकाना हक देने और जरूरतमंद परिवारों को 5 मरला प्लॉट तथा निर्माण के लिए राशि देने की मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया था। आंदोलनकारियों की मांग थी कि पंचायती जमीन का एक तिहाई हिस्सा स्थायी रूप से कम दर पर दलितों को दिया जाए और दलितों और भूमिहीनों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जाए और सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। इन मांगों को लेकर पीएमयू और जेडपीएससी का सघर्ष अभी भी जारी है।

ग्रामीण मजदूरों की ओर से की गई इन जायज मांगों को मानने की बजाय पंजाब सरकार की पुलिस द्वारा दलितों और मजदूरों को बुरी तरह पीटा गया। रेल चक्का जाम से एक दिन पहले नेताओं के घरों पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गांवों में कार्यकर्ताओं को घेर लिया गया और भारी पुलिस बल तैनात कर गांवों को सील कर दिया गया और जो दलित रेलवे ट्रैक की ओर जा रहे थे, उन्हें जमकर पीटा गया। इससे दर्जनों पुरुष और महिलाएं बुरी तरह घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। एक ओर जहां किसानों को रेलवे ट्रैक पर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है, वहीं दूसरी ओर पंजाब सरकार द्वारा दलितों को रेलवे ट्रैक पर जाने से रोकने के फैसले से दलित समुदाय आहत हैं। परंतु इस जबरदस्ती के बावजूद हजारों मजदूर पुलिस चेक पोस्ट तोड़ कर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और रेलवे ट्रैक पर बैठ गये। इनमें करतारपुर, श्रीगंगानगर से अंबाला, नकोदर से लुधियाना और फिरोजपुर से लुधियाना सहित अमृतसर से दिल्ली तक के रेलवे ट्रैक बाधित हुए और एक दिन तक सभी रेल लाइनों को जाम कर दिया गया था।

प्रदर्शन कर रहे संगठनों के नेताओं ने कहा कि इस उत्पीड़न के बाद दलित और मजदूर चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि पंजाब सरकार को कड़ा जवाब देंगे। दोनों संगठनों ने ग्रामीण गरीबों के उपरोक्त बुनियादी मुद्दों को हल करने के साथ–साथ पंजाब भर के नेताओं सहित 800 से अधिक श्रमिकों की तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मोगा रेलवे ट्रैक पर दलितों पर हुए लाठीचार्ज के बाद दर्जनों पुरुष और महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धुरी में ट्रेन जाम करने वाले समूहों को भी पीटा गया और गिरफ्तार किया गया।

रेल रोको की तैयारी के लिए, पीएमयू (ग्रामीण मजदूर संघ पंजाब) और जेडपीएससी ने पटियाला, संगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, जगराओ, मोगा, मुक्तसर, फरीदकोट के सैकड़ों गांवों में मजदूरों की रैलियां और बैठकें आयोजित की थीं। साथ ही कपूरथला, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, गुरदासपुर और अमृतसर जिलों में भी मजदूरों को रैली कर रेल चक्का जाम करने के लिए लामबंद किया गया था। आंदोलन को रोकने के लिए कई प्रांतीय संगठनों के नेताओं के घरों पर छापेमारी की गयी, लेकिन भूमिहीन दलित मजदूरों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार के रवैये को भांप कर कई नेता पहले ही लोगों के बीच चले गये थे। छापेमारी में करीब एक दर्जन नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से मजदूरों के मन में और गुस्सा पैदा हो गया। नतीजा यह हुआ कि मजदूरों ने निर्धारित स्थानों से दोगुने स्थानों पर रेलवे ट्रैक जाम कर अपने गुस्से का इजहार किया।

लुधियाना–फिरोजपुर लाईन : मोगा (पंजाब)

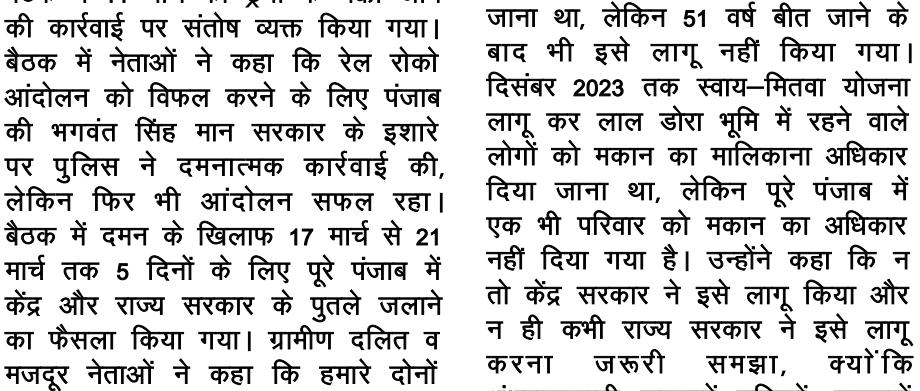

अमृतसर–दिल्ली लाईन : करतारपुर (पंजाब)

रेलवे चक्का जाम का नेतृत्व पीएमयू पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष तरसेम पीटर, राज्य प्रेस सचिव कश्मीर सिंह घुगशोर, निर्मल सिंह शेरपुर साधा, राज कुमार पंडोरी, हंस राज पबवान, मंगन सिंह वैरोके, लखवंत कीर्ति और जेडपीएससी के अध्यक्ष मुकेश मालोद, बीकर सिंह हथोआ, गुरविंदर बौरां और धर्मवीर हरिगढ़ ने किया।

पीएमयू और जेडपीएससी की संयुक्त बैठक में 11 मार्च को ट्रेनों के चक्का जाम की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया। बैठक में नेताओं ने कहा कि रेल रोको आंदोलन को विफल करने के लिए पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार के इशारे पर पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाई की, लेकिन फिर भी आंदोलन सफल रहा। बैठक में दमन के खिलाफ 17 मार्च से 21 मार्च तक 5 दिनों के लिए पूरे पंजाब में केंद्र और राज्य सरकार के पुतले जलाने का फैसला किया गया। ग्रामीण दलित व मजदूर नेताओं ने कहा कि हमारे दोनों संगठनों के रेल रोको आंदोलन पर केंद्र और राज्य सरकार ने जो घिनौना दमनात्मक चेहरा दिखाया और बर्बर कार्यवाही की वह उसके लोकतांत्रिक अधिकारों और भू–कानून लागू करने की उसकी मंशा पर सवाल खड़ा करती है।

नेताओं ने बताया कि उनके गांवों से कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के अलावा, जलंधर स्थित कीर्ति किसान यूनियन के राज्य कार्यालय और संगरूर में गदर भवन पर छापे के दौरान बल प्रयोग किया गया और गिरफ्तारियां की गईं। जलंधर कार्यालय पर रेड कर तलाशी ली गई, कार्यालय को लॉक किया गया तथा स्त्री जागृति मंच की नेता जसवीर कौर जस्सी को गिरफ्तार किया गया। इस दमन के माध्यम से आतंक पैदा कर भूमिहीन मजदूरों को उनकी जमीन के मालिकाना हक, लाल डोरा (लाल रेखा) में मकान जैसे बुनियादी मुद्दों के समाधान के लिए संगठित संघर्ष से डराने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि भूमिहीन दलितों और मजदूरों ने बर्बर दमन व पुलिसिया आतंक को चकनाचूर करते हुए ट्रेनों का चक्का जाम से ट्रेनों का चक्का जाम कर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की आरएसएस–बीजेपी सरकार दलितों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलकर दलितों और मजदूरों को गुलाम बनाए रखना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री का दलित–मजदूर विरोधी चेहरा भी बेनकाब हो गया है। इसका उदाहरण है कि श्रमिक नेताओं को बैठकों के लिए समय दिया गया, लेकिन वह आज तक उनसे नहीं मिले।

दोनों संगठनों के प्रमुख नेताओं ने कहा कि भूमि सुधार कानून 1972 भूमिहीन दलितों व मजदूरों के बड़े संघर्षों और फिर शासक वर्गों की पार्टियों द्वारा वोट के लिए बनाया गया था। इस कानून के अनुसार अधिशेष भूमि को भूमिहीन मजदूरों–किसानों के बीच वितरित किया जाना था, लेकिन 51 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। दिसंबर 2023 तक स्वाय–मितवा योजना लागू कर लाल डोरा भूमि में रहने वाले लोगों को मकान का मालिकाना अधिकार दिया जाना था, लेकिन पूरे पंजाब में एक भी परिवार को मकान का अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि न तो केंद्र सरकार ने इसे लागू किया और न ही कभी राज्य सरकार ने इसे लागू करना जरूरी समझा, क्योंकि अंधराष्ट्रवादी सरकारें दलितों, मजदूरों को संसाधनों से वंचित रखना चाहती हैं।

रेल चक्का जाम विफल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने गदर मेमोरियल भवन संगरूर में रात के समय दीवारें पार करके छापा मारा और कीर्ति किसान यूनियन के राज्य नेता भूपिंदर सिंह लोंगोवाल और छात्र नेता सुखदीप हथन को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया और संगठन कार्यालय में रखें रिकॉर्ड, झंडे आदि सामान जब्त कर लिये। यही नहीं अन्य स्थानों पर भी छापेमारी के दौरान महिलाओं को पुलिसकर्मियों द्वारा अपमानित किया गया। शादी हारी गांव में बिना महिला पुलिस के घरों में घुसकर तलाशी ली गई। प्रशासन के इन कृत्यों के खिलाफ कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किये गए। 22 मार्च, 2024 को भगत सिंह चौक और सुनामी गेट पर रैली करने के बाद किसानों और मजदूरों की एक बड़ी सभा संगरूर दाना मंडी में हुई। हजारों लोगों का जुलूस चौक से

(शेष पृष्ठ 8 पर)

सासाराम : का. शंकर सिंह की जन श्रद्धांजलि सभा

का. शंकर सिंह, उत्तर भारत के कई स्थानों सहित मध्य बिहार के पटना, जहानाबाद, रोहतास व कैमूर में पार्टी के नेतृत्व में शोषण-उत्पीड़न विरोधी मजदूरों-किसानों के विभिन्न संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी योद्धा, का निधन 24 सितम्बर 2023, रविवार को इलाज के क्रम में सदर अस्पताल सासाराम में सुबह 5 बजकर 51 मिनट पर हो गया। 80 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा करने वाले इस अथक सेनानी ने करीब 5 दशकों से भी अधिक समय तक मजदूरों-किसानों के संघर्षों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओत्से तुंग विचारधारा की लाल पताका को बुलंद किया। नवजनवादी क्रांति में उनका अटूट विश्वास, दृढ़ इच्छाशक्ति, भौतिकवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के प्रति गम्भीर आस्था और वर्ग संघर्ष में उनकी अग्रणी भूमिका जैसी खूबियां थी, जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे।

1967 में नक्सलबाड़ी किसान आन्दोलन से प्रभावित का. शंकर सिंह अपने वयस्क जीवन के शुरुआती चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में स्थित मोदी कपड़ा मिल में मजदूर के रुप में काम किए और वहां मजदूरों की मशहूर हड़ताल में भाग लिया

तथा उन्हें पुलिस दमन भी झेलना पड़ा। इसके बाद वे पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। उत्तराखंड राज्य के देहरादून में हुए भूमिहीन किसानों के भूमि संघर्षों में उन्होंने हिस्सा लिया। 1980 में पार्टी ने उन्हें बिहार भेजा। कुछ दिनों तक रांची धनबाद के मजदूर आन्दोलन से जुड़े रहे फिर उन्हें पटना भेज दिया गया, जहां वे पटना जिला के पालीगंज एवं जहानाबाद जिले के करपी में चल रहे किसान आन्दोलन से जुड़ गए। 1987 में वे पार्टी के फैसले से रोहतास आए और जीवन भर यहीं रहे। उनका जीवन इस मामले में भी अनुकरणीय है कि वे मजदूर वर्ग से किसानों में पार्टी का काम करने के लिए आए और अपने घर से सैकड़ों मील दूर बिहार आए, जहां उन्हें स्थानीय तौर पर भाषायी समस्या सहित कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। किन्तु कभी वे इससे मुंह नहीं मोड़े। वे जहां भी गए, चाहे वह क्षेत्र मगही हो या भोजपुरी, का. शंकर सिंह जी जनता के साथ घुल मिल गये। वे पार्टी की पटना जिला कमेटी के लगभग 6 सालों तक सदस्य रहे। 1985 में पार्टी की पुनर्गठित राज्य कमेटी के भी सदस्य थे। 1987 में रोहतास आने के बाद उन्हें पार्टी की रोहतास-भोजपुर जिला कमेटी का सदस्य बनाया गया, फिर वे लम्बे समय तक पार्टी की रोहतास-कैमूर जिला कमेटी के सदस्य रहे। वे 1980 में पूर्व की बिहार किसान समिति एवं वर्तमान की अखिल भारतीय किसान मजूदर सभा की जिला कमेटी के आजीवन अध्यक्ष रहे। उनके निधन से पार्टी के नेतृत्व में हुए सामंत विरोधी संघर्षों एवं भूमि आन्दोलन का मजबूत स्तंभ धराशायी हो गया। पार्टी ने जहां विचारधारात्मक एवं सैद्धांतिक रूप से एक दृढ़ नेतृत्व खो दिया, वहीं जनता ने भी अपने संघर्षों का एक जुझारु अगुआ खो दिया है।

का० शंकर सिंह का जन्म 1943 में पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के ग्राम ढकोली में एक किसान परिवार में हुआ था। उनका घर का नाम ओम प्रकाश ढाका था। उनके अनूठे स्वभाव के कारण पार्टी के साथियों ने उनका नाम शंकर सिंह रख दिया, जिस नाम से वे विख्यात हुए। आज किसानों-मजदूरों, छात्रों-नौजवानों, महिलाओं, बच्चों-बूढ़ों के प्यारे का० शंकर जी भले ही दुनिया को छोड़कर चले गये हों किन्तु क्रांतिकारी संघर्षों में उनकी भूमिका एवं उनके योगदान को सदैव ही याद रखा जाएगा।

का शंकर सिंह के जीवन के महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए पार्टी की जिला कमेटी ने आज की नई पीढ़ी एवं पार्टी कतारों को उससे परिचित कराने एवं उससे सबक लेने हेतु जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। 14 अक्टूबर 2023 को जिले के दक्षिणी क्षेत्र रोहतास (अकबरपुर) प्रखंड, 26 अक्टूबर 2023 को मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत शिवसागर प्रखंड के ग्राम कोनार, 28 अक्टूबर 2023 को नोखा अंचल के ग्राम जबरा, 30 अक्टूबर 2023 को डिहरी नगर में जन श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गयी, जिनमें भारी संख्या में पार्टी कार्यकताओं और जनता ने हिस्सा लिया। जन श्रद्धांजलि सभाओं की श्रृंखला का समापन 26 नवम्बर 2023 को जिला हेडक्वाटर सासारम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के साथ किया गया, जिसमें रोहतास जिले के विभिन्न प्रखंडों के पार्टी एवं किसान कार्यकताओं के साथ सासाराम नगर के बुद्धिजीवी भी का० शंकर सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने हेतु एकजुट हुए।

26 नवम्बर 2023 को सासाराम नगर स्थित पटेल धर्मशाला साभागार में दिन के 1 बजे शुरु हुई श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता एवं संचालन सासाराम सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. सिंह ने किया। इस मौके पर अपने लम्बे राजनीतिक जीवन यात्रा के सहयात्री रहे का. शंकर सिंह को याद करते हुए का० श्रीकान्त मधुकर ने उनसे जुड़ी कई राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद माओत्से-तुंग विचारधारा के प्रति उनका अटूट विश्वास, भौतिकवादी एवं वैज्ञानिक समझ और नवजनवादी क्रांति की अनिवार्यता में दृढ़ विश्वास हमारी कतारों के लिए प्रेरणास्रोत है, इससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़े एवं गरीब देशों में बढ़ते साम्राज्यवादी हस्तक्षेप एवं हमलों से का० शंकर सिंह मर्माहत हो उठते थे। यदि आज वे होते तो गाजा में फिलिस्तीनियों पर हो रहे बर्बर हमले व जन संहार के विरुद्ध अपनी पार्टी कतारों को सचेत एवं विरोध के लिए अवश्य प्रेरित करते। उनके साम्राज्यवाद विरोधी पक्ष को उजागर करते हुए का. मधुकर ने कहा कि गाजा में अब तक दसियों हजार से भी अधिक फिलिस्तीनियों की शहादतें एवं खासकर नन्हें मासूम बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों, बीमारों की जियनवादी इज़राइली शासकों द्वारा की गयी निर्मम हत्याएं विश्व इतिहास की एक भयानक त्रासदी है। दो क्षण के लिए हॉल में उपस्थित तमाम लोग गाजा में शहीद हुए फिलिस्तीनियों की याद में मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। अपने संक्षिप्त वक्तव्य में का. मधुकर ने शंकर सिंह के राजनीतिक जीवन को बेमिसाल बताया।

इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सी.पी.आई. (एम-एल) न्यू डेमोक्रेसी के राज्य कमेटी प्रवक्ता डा. वी.के. पटोले ने कहा कि का० शंकर सिंह का जीवन एक राजनीति लक्ष्य से प्रेरित एवं केंद्रित था। अपने वयस्क जीवन के शुरु के दिनों में ही मोदी नगर की मोदी कपड़ा मिल से एक मजदूर के रूप में काम करना और वहां हुई मशहूर मजदूर हड़ताल में शामिल होना और दमन झेलना उनके शुरुआती जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो उन्हें परिवर्तगामी क्रांतिकारी राजनीति से जुड़ने के लिए प्रेरित djrsgA70 के दशक में पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने पार्टी के फैसले के मुताबिक मजदूरों और किसानों को संगठित करने का काम शुरु किया। का० शंकर सिंह का पूरा राजनीतिक जीवन एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी का जीवन था। वे किसी कालेज या विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी उनमें एक बौद्धिक गुण, स्वयं पढ़ने एवं नयी-नयी चीजों को जानने की उत्कृष्ठ इच्छा थी। इससे आज की हमारी नयी पीढ़ी एवं पार्टी कतारों को सीखना चाहिए कि एक कम पढ़ा-लिखा इंसान भी अपनी सीखने की लगन व इच्छा की बदौलत राजनीतिक ज्ञान हासिल कर सकता है। का. पटोले ने कहा कि का० शंकर सिंह ने कभी भी अपने आप को मजदूरों, किसानों के मुक्तिदाता के रूप में पेश नहीं किया। वे एक ऐसे जन नेता थे जो जुझारु होने के साथ-साथ राजनीतिक सूझ-बूझ व समझ भी रखते थे। वे जानते थे कि चन्द संघर्षों से व्यवस्था में बदलाव नहीं हो पाएगा, इसके लिए दीर्घकालिक संघर्षों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि का० शंकर सिंह में सामंतवाद एवं साम्राज्यवाद विरोध कूट-कूट कर भरा था, इसलिए वे जहां सामंती उत्पीड़न के विरुद्ध हो रहे किसान संघर्षों के अगुआ के रूप में खड़े नजर आते थे वहीं उत्पीड़ित राष्ट्रों पर साम्राज्वादी हमलों के खिलाफ भी वे जनता को तैयार करने में जुट जाते थे। डा. पटोले ने शंकर सिंह की साम्राज्यवाद विरोधी भूमिका को रेखांकित करते हुए फिलिस्तीन पर इज़रायली कब्जे और फिलिस्तीनियों के विरुद्ध किए जा रहे बर्बर युद्ध के विरोध का आह्वान करते हुए कहा कि जियानवादी इजारायली शासकों के प्रति मोदी सरकार के समर्थन के खिलाफ देश के किसानों-मजदूरों, छात्रों-नौजवानों, बुद्धिजीवियों को एक जुट होने की जरूरत है।

इस मौके पर जन श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करने वाले अन्य वक्ताओं में नगर के प्रगतिशील बुद्धिजीवी आर०एन० इंजीनियर, अधिवक्ता हीरालाल पासवान, अधिवक्ता उमाशंकर सिंह, शिवशंकर कुशवाहा, वार्ड पार्षद सरोज कुमार, किसान नेता रामबली सिंह, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष का० आयोध्या राम आदि मुख्य थे। इस मौके पर का० विकास पासवान ने का० शंकर सिंह की याद में रचित गीतों को गाकर उनकी याद को ताजा कर दिया।

सभा का आगाज शंकर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करने एवं उनकी याद में दो क्षण का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ सभा का कार्यक्रम शुरु किया गया।

बेरोजगारी का ज्वालामुखी

(पृष्ठ 4 का शेष)

एंड एनालिसिस विंग, 190 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, 1085 रक्षा क्षेत्र में अधिकारियों, 88 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर शुल्क बोर्ड, 2127 आईबी, 123 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के दफ्तरों में, 1403 इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, 250 प्रवर्तन निदेशालय, 114 विदेश मंत्रालय और 190 केंद्रीय सचिवालय में पद रिक्त थे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में जजों के लगभग 5000 पद रिक्त थे। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 8 लाख 37 हजार पद रिक्त थे, तो 28 राज्यों के पुलिस कर्मियों के 5 लाख 31 हजार स्वीकृत पद रिक्त थे।

सरकारी नौकरियां के रिक्त पदों को देखते हुए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा जारी ''स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023'' रिपोर्ट का कहना है कि देश में युवा स्नातकों के बीच बेरोजगारी 42.3 प्रतिशत के स्तर पर है। सरकार की दलील रही है कि देश में रोजगार की जरूरत के मुताबिक लोग शिक्षित नहीं हैं। अथवा उनमें आवश्यक स्किल नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि स्नातक या उच्च योग्यता वाले युवा जिनकी उम्र 25 से 29 वर्ष के बीच है उनमें बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत है। इसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर की योग्यता वाले और 25 वर्ष से कम उम्र वाले लोगों में बेरोजगारी दर 21.4% है। बेरोजगारी पर केंद्रित ''सीएमआई'' की रिपोर्ट के अनुसार देश में 10 करोड़ स्नातक हैं। बड़ी संख्या संख्या बीटेक और आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिग्री व डिप्लोमा होल्डर्स की है। सरकार अप्रशिक्षित और अन प्रोफेशनल डिग्री को बेरोजगारी का प्रमुख कारण बताती है और इसके लिए स्किल इंडिया जैसा फर्जी अभियान वर्षों से चलाया जा रहा है, लेकिन सरकारी दफ्तरों, पीएसयू और कॉरपोरेट कंपनियों में बीटेक, एमटेक, एमबीए डिग्री धारक युवा 20 से 50000 रुपए की ठेका नौकरी कर रहे हैं। यह ठेका अवधि पूरी होने अथवा कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सेवा से निकाल दिए जाते हैं। इनका कोई ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड नहीं होता। विश्वविद्यालयों, उच्च व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों और स्कूल व कॉलेज में तो अब एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया है और वहां प्रति घंटा क्लास लेने के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। यह स्थिति दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों व व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों की है।

पहले भी कहा जा चुका है कि देश में किसी भी मामले में वास्तविक डाटा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में दुनिया भर की तमाम संस्थाएं जो सर्वे या रिपोर्ट जारी करती हैं उन्हीं को पिछली सरकारी रिपोर्ट के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

पंजाब : पुलिस दमन, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियों के बावजूद सफल रहा रेल चक्का जाम

(पृष्ठ 6 का शेष)

होते हुए मुख्य बाजार तक विरोध प्रदर्शन करते हुए निकला, जिससे पूरे चौक का इलाका जाम हो गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने नेताओं से मांग पत्र लिया और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और कीर्ति किसान यूनियन के राज्य प्रेस सचिव रमिंदर सिंह पटियाला, जम्हूरी अधिकार सभा के जिला अध्यक्ष स्वर्णजीत सिंह, जम्हूरी किसान सभा पंजाब के राज्य नेता स्वर्णजीत सिंह, वत्रेवा सिंह संतोखपुरा, ज़ेडपीएससी के अध्यक्ष मुकेश मलौद, कुल हिंद किसान सभा के जिला नेता निर्मल सिंह बटरियाना, सीटीयू के राज्य अध्यक्ष कामरेड देवराज वर्मा, एटीके के राज्य अध्यक्ष सुखदेव शर्मा, बीकेयू डकौंदा (धनेर) के जिला नेता रणधीर सिंह भट्टीवाल, बीकेयू डकौंदा (बुर्जगिल) नेता नजम सिंह पुन्ननवाल आदि नेताओं ने कहा कि 10 मार्च की रात पुलिस प्रशासन ने संघर्षरत लोगों में दहशत पैदा करने के लिए बिना वर्दी के हमलावरों की तरह गदर भवन पर धावा बोलकर जो कार्रवाई की है, वह बेहद निंदनीय और असहनीय है। नेताओं ने मांग की कि अवैध छापेमारी और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। साथ ही कार्यालय से जब्त किये गये रिकार्ड वापस किये जायें और यह सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई नहीं होगी।

इस मौके पर किरती किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जरनैल सिंह जहांगीर, प्रदेश नेता भूपिंदर सिंह लोंगोवाल, महासचिव दर्शन सिंह कुन्नारन, कृषि किसान विकास मोर्चा के नेता महिंदर पाल सिंह भठल, तर्कशील सोसायटी पंजाब के नेता मास्टर परमवेद, बीकेयू (राजेवाल) के नेता गुरजीत सिंह भारी, बीकेयू डकौंदा (धनेर) के नेता जगतार सिंह दुग्गन, मक्खन सिंह डुग्गन करमजीत सिंह गंडेवाल, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के जिला अध्यक्ष सुखविंदर गिर, राज्य नेता रघवीर भवानीगढ़, जेडपीएससी की नेता परमजीत कौर, कर्मचारी नेता मुहम्मद खलील ने भी सभा को संबोधित किया।

केकेयू कार्यालय पर पुलिस छापे के खिलाफ जालंधर में विरोध प्रदर्शन

केकेयू के राज्य कार्यालय में इस अभूतपूर्व कार्रवाई – पुलिस छापा, तलाशी, ताला लगाने तथा गिरफ्तारी के खिलाफ, 21 मार्च को जालंधर में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों ने देशभगत यादगार हॉल के परिसर में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर एक बैठक की और फिर जालंधर के उपायुक्त के कार्यालय तक मार्च किया। विरोध प्रदर्शन में विभिन्न जिलों से आए किसानों के कारवां शामिल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र सौंपा।

विरोध सभा को संबोधित करते हुए किरती किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष निर्भय सिंह ढुडीके और महासचिव राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या किरती किसान यूनियन एक प्रतिबंधित संगठन है ? उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यालय में ताला लगाना, अंदर घुसकर तलाशी लेना पुलिस का भड़काऊ, गैरकानूनी और फासीवादी कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि केकेयू द्वारा किसानों की मांग उठाने, पंजाब के सड़क गलियारों के माध्यम से भारत–पाकिस्तान व्यापार खोलने की मांग करने और पंजाब के पानी की सुरक्षा के लिए उठाई जा रही आवाज को चुप कराने के लिए यूनियन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने पंजाब सरकार को याद दिलाया कि किरती किसान यूनियन का आधी सदी से अधिक का इतिहास संघर्षों और बलिदानों का इतिहास रहा है। पुलिस की ऐसी हरकतों से यूनियन द्वारा उठायी गयी संघर्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। किसान नेताओं ने पुलिस को भविष्य में ऐसी कार्रवाई से परहेज करने की चेतावनी दी और इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

सभा को संबोधित करते हुए राज्य उपाध्यक्ष जतिंदर सिंह छीना और राज्य नेता सतबीर सिंह सुल्तानी ने कहा कि संगठन के कार्यालय को उस समय निशाना बनाया गया, जब केकेयू का प्रत्येक सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली में होने वाली महापंचायत की तैयारी में व्यस्त था। पुलिस ने दफ्तर की हर मंजिल की तलाशी ली. पुलिस अधिकारियों ने कार्यालय स्टाफ के साथ स्त्री जागृति मंच की नेता जसवीर कौर को हिरासत में ले लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ यूनियन ने उसी समय उच्च पुलिस अधिकारियों को अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। केकेयू के कार्यालय के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है।

रैली को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश प्रेस सचिव रमिन्दर सिंह पटियाला और वित्त सचिव जसविंदर सिंह झबेलवाली ने किसान संघर्ष को अलगाववादी, आतंकवादी और अराजक लोगों का संघर्ष बताने के लिए आरएसएस की आलोचना की। आरएसएस, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों की सेवा की थी और लोगों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया था, वह कभी नहीं समझ सकता कि पंजाब और देश के किसानों के पास साम्राज्यवाद–विरोधी, कॉरपोरेट–विरोधी संघर्षों का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का प्रस्ताव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से पारित किया गया है। उन्होंने मांग की कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस किसान विरोधी प्रस्ताव के लिए देश के किसानों से माफी मांगें।

स्त्री जागृति मंच की नेता जसवीर कौर जस्सी, पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब के प्रेस सचिव कश्मीर सिंह घुगशोर, भारतीय किसान यूनियन कादियां के जिला अध्यक्ष अमरीक सिंह, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के कश्मीर सिंह और भारतीय किसान यूनियन लाखोवाल के सुखजिंदर सिंह और ट्रक–ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता रणजीत ने भी बैठक को संबोधित किया।

इफ्टू राष्ट्रीय कमेटी का मजदूर वर्ग से आह्वान

भाजपा-मोदी सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करते हुए 138 वां मई दिवस मनाएं

मजदूर वर्ग को सांप्रदायिक रूप से विभाजित करने की भाजपा सरकार की कोशिशों को परास्त करें

औद्योगिक क्रांति के साथ ही पूंजीपति वर्ग और आधुनिक औद्योगिक मजदूर वर्ग भी साथ–साथ आया। इससे मजदूरों के श्रम का शोषण बढ़ता गया। काम के घंटे तक तय नहीं थे और वेतन भी कम था। इसके खिलाफ मजदूर वर्ग ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक श्रम करने के शोषण के इस चरम रूप के खिलाफ विद्रोह किया और काम के घंटों को कम करने के लिए संघर्ष किया। 1886 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूर वर्ग ने 8 घंटे के दिन की मांग करते हुए मालिकों के खिलाफ हड़ताल का बिगुल बजाया। गिरफ्तारी, गोलीबारी, मुकदमे और फांसी के बावजूद, हमने उनके बलिदानों के कारण ही 8 घंटे के काम का कार्य दिवस का अधिकार हासिल किया। इफ्टू शिकागो के उन मजदूरों को सलाम करता है, जो मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। 1886 से दुनिया का मजदूर वर्ग 1 मई को संघर्ष दिवस के रूप में मनाता आ रहा है।

आज देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा की मोदी सरकार ने देश के 45 करोड़ संगठित और असंगठित मजदूरों के जीवन को संकट में डाल दिया है। सत्ता में आने के इन 10 वर्षों के दौरान, भाजपा ने सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों और संपत्ति का निजीकरण किया है। इनमें रक्षा, परिवहन, बिजली, नौसेना, विमानन, परमाणु, कोयला, सेल (स्टील), गेल (गैस), एयरोस्पेस, रेलवे, बीमा, बीएसएनएल, गैस, तेल आदि क्षेत्र शामिल हैं। इसने देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विभिन्न क्षेत्रों का 24 प्रतिशत से 100 प्रतिशत हिस्सा कारपोरेट को सौंप दिया है। जिस सरकार को मजदूरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहिए था, वह स्थायी नौकरियां ही खत्म कर रही है। पीएफ, ईएसआई, पेंशन, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, आरक्षण जेसे अधिकार समाप्त किये जा रहे हैं और आवश्यक सेवाएं कॉरपोरेट क्षेत्रों को सौंप दी गई हैं। आर्थिक असमानता बढ़ी है। जिन 29 श्रम कानूनों को मजदूर वर्ग ने संघर्षों से हासिल किया था, उन्हें कॉरपोरेट के पक्ष में छोड़ दिया गया है और उन कानूनों को चार कोड में बदल दिया गया है और इस तरह 45 करोड़ मजदूर वर्ग के अधिकारों का डेथ वारंट इस केंद्र सरकार ने लिखा है।

भाजपा–आरएसएस की मोदी सरकार उन लोगों और मजदूर वर्ग के अधिकारों पर अपने हमले जारी रख रही है जो कट्टरवादी फासीवादी हमलों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मजदूरों के कल्याणकारी अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और अन्य कदमों के जरिये वह देश में धार्मिक नफरत भड़का रही है। भाजपा–आरएसएस हजारों वर्षों से एक साथ रह रहे विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों के बीच एकता को नुकसान पहुंचा रही है और मेहनतकश जनता की एकता पर हमला कर रही है। मजदूर वर्ग को ऐसी विभाजनकारी नीतियों का मुकाबला करना चाहिए और भाजपा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। यह समय की मांग है कि मजदूर वर्ग अपनी एकता को व्यापक बनाए और भाजपा–आरएसएस सरकार द्वारा अपनाई जा रही मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूत संघर्षों का निर्माण करे।

साथियों, मजदूर वर्ग को शिकागो के शहीदों के बलिदान की भावना से लैस होकर आज के दौर में लड़ना चाहिए। मोदी सरकार ने मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया है, जबकि वे पिछले दस वर्षों से भाजपा की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह कॉरपोरेट सेक्टर के हितों के लिए और अधिक मजबूती से काम कर रही है। देश भर में मजदूर वर्ग के सभी क्षेत्रों को एकजुट होना चाहिए और दीर्घकालिक हड़तालों, संघर्षों और अन्य प्रकार की एकजुटता के साथ व्यापक आधार वाले संघर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए। इफ्टू राष्ट्रीय कमेटी मजदूर वर्ग से शिकागो के शहीदों से भी बड़े बलिदानों के लिए तैयार रहने का आह्वान करती है।

मई दिवस जिंदाबाद!

राष्ट्रीय कमेटी
इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स
(इफ्टू)

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar
Monthly
Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019
Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87
Book Post
To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा स्टार ऑफसेट, टी-2151/8-ए-2, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से मुद्रित व बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार